उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो—अनुसंधान संस्थान, मथुरा (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या-ई-7688/2021

दिनांक : नवम्बर 🖇 , 2021

उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो—अनुसंधान संस्थान, मथुरा (उ.प्र.), जोकि उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो—अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपित की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा—11 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपित के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपित का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपित के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविद होने के साथ—साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपित पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 21.12.2021 तक केवल ऑनलाइन (Online) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

Dated: November 22, 2021

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR THE UTTAR PRADESH PANDIT DEEN DAYAL UPADHYAYA PASHU CHIKTSA VIGYAN VISHWAVIDYALAYA EVAM GOANUSANDHAN SANSTHAN, MATHURA (U.P.)

Advt. No. E-7688/2021

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for The Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chiktsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan, Mathura (U.P.), established under the Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chiktsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan Act, 2001 by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section - 11 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Veterinary and Animal Sciences.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his application **Online** only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before **21.12.2021**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor, Uttar Pradesh.